<u>प्रतिलिपिः– जमानत आवेदन क्र. 290/2026, आदेश पत्र दिनांक 14.08.2026 न्यायालय–बी.आर.साहू, अपर सत्र न्यायाधीश गरियाबंद, छ.ग.</u>

<u>जमानत आदेश पारित।</u>

अपराध क्रमांक–238/2026
धारा– 3(2) छ०ग०जुआ प्रतिषेध अधिनियम।
एवं धारा 112 बी.एन.एस.

संतोष साहू पिता भोजराम साहू, उम्र 39 वर्ष,

निवासी ग्राम–तरीघाट, थाना–राजिम,

जिला– गरियाबंद छ.ग. **.....आवेदक/अभियुक्त**

।। विरूद्ध ।।

छ.ग. राज्य द्वारा–आरक्षी केन्द्र–राजिम,

जिला–गरियाबंद छ.ग. **..... अनावेदक/अभियोजन**

14.08.2026 आवेदक/अभियुक्त संतोष साहू की ओर से श्री **हेमराज साहू** अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री शिवदयाल साहू अपर लोक अभियोजक।

प्रकरण अग्रिम जमानत आवेदन पत्र पर तर्क व विचार हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र राजिम से संबंधित अपराध क्र. 238/2026 धारा–3(2) **छ०ग० जुआ प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा 112 बी.एन.एस.** की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. पर उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया गया।

इस आदेश द्वारा आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत **अग्रिम** जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं तर्क इस प्रकार है कि आरक्षी केन्द्र राजिम द्वारा अपराध क्रमांक 238/2026, धारा–3(2) **छ०ग० जुआ प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा 112 बी.एन.एस.** के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है । प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, आवेदक के द्वारा उपरोक्त अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक को शंका के आधार पर इस प्रकरण में फंसाया गया है। ग्रामीणों के नाम से थाना प्रभारी द्वारा जानबूझकर अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर झूठा फसाया गया है। थाना प्रभारी के द्वारा आवेदक को दुर्भावना पूर्वक बिना उचित आधार के उक्त अपराध में बाद में गैरजमानतीय धारा जोड़ककर झूठा संलिप्त किया गया है । उक्त प्रकरण में अवैध तरीके से आवेदक का नाम जोड़ा गया है । जबकि उक्त प्रकरण से आवेदक का कोई लेना देना नहीं है। आवेदक अपने परिवार का एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है उसके जेल जाने से उसके परिवार के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। आवेदक नवयुवक है उसके जेल जाने पर उसके मस्तिष्क में विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आवेदक जमानत पश्चात साक्षियों को किसी प्रकार से प्रभावति नहीं करेंगे तथा प्रकरण के प्रत्येक पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होते रहेंगे । आवेदक/अभियुक्त ग्राम तरीघाट, थाना राजिम,जिला गरियाबंद छ०ग० का स्थायी निवासी है अग्रिम जमानत पश्चात उसके अन्यत्र फरार होने की संभावना नहीं है । आवेदक/अभियुक्त न्यायालय के समस्त आदेश एवं निर्देशों का पालन करने के लिये तैयार है। अतः उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदन के समर्थन में आवेदक **संतोष साहू** का **स्वयं** का शपथ पत्र संलग्न किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत यह **प्रथम अग्रिम** जमानत आवेदन पत्र है। इसके अतिरिक्त इस आशय का अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत या लंबित या निराकृत नहीं है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र राजिम द्वारा अपराध क्रमांक 238/2026, धारा–**3(2) छ०ग० जुआ प्रतिषेध अधिनियम** के तहत आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है तथा विवेचना के दौरान **धारा 112 बी.एन.एस.** जोड़ा गया है। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 05.08.2026 को थाना राजिम के प्रधान आरक्षक को हमराह स्टाफ के साथ जुर्म जरायम पता साजी व ग्राम भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गौठान के पास ग्राम तरीघाट के पास कुछ व्यक्ति खुले स्थान पर रुपये, पैसे का हार जीत का दांव लगाकर 52 पत्ती ताश से काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे हैं, उक्त सूचना के आधार पर हमराह स्टाफ व गवाहों के साथ मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचकर रेड कार्यवाही करने पर अभियुक्त/आवेदक को जुआ खेलते पकड़े गये । आवेदक/अभियुक्त एवं सहअभियुक्तगण के पास एवं फड़ से कुल नगदी रकम 78,600/– रुपये, 04 नग मोबाईल एवं 52 पत्ती ताश, जप्त किया जाना बताया गया है ।

आवेदक/अभियुक्त का पंजीबद्ध अपराध में प्रथम दृष्टया संलिप्ता दर्शित होती है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराध

अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध है, यदि उन्हें जमानत का लाभ दिया जाता है तो ऐसे अपराधों के प्रति उनका मनोबल बढ़ेगा। अतः अपराध की गंभीरता एवं प्रकरण की उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत **अग्रिम** जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा **482** बीएनएसएस अस्वीकार कर **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी आरक्षी केन्द्र राजिम को वापस की जावे

जमानत याचिका का परिणाम दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में नियमानुसार अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही

(बी.आर.साहू)
अपर सत्र न्यायाधीश
गरियाबंद (छ.ग.)

प्रतिलिपि– 1/ आदेश की प्रति सहित केस डायरी आरक्षी केन्द्र राजिम को वापस किया जावे।

सही
(बी.आर.साहू)
अपर सत्र न्यायाधीश
गरियाबंद (छ.ग.)